04-12-2020

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कपिल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– तालाब की पाल, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री जीण माता ट्रेडर्स, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 07.12.2020 को अति आवश्यक कार्य से न्यायालय में उपस्थित नही हो पाउंगा, इसलिये मेरे प्रकरण संख्या 31/2020 की सुनवाई आज दिनांक 04.12.2020 को की जावे। प्रतिवादी ने लिखित जवाब में यह भी अंकित किया दिनांक 07.2.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा, सिरोही द्वारा जिस सोलटेक्स राईस (राजा ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह मेरी फर्म जिण माता ट्रेडर्स मेहतावाडी, पिण्डवाडा से लिया गया था एवं जो रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना पैक बेग में से लिया गया है। नमूने से संबंधित बिल मेरे पास थे जो मेरे से मिस हो गये है जिसके कारण में बिल प्रस्तुत नही कर पाया। मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, भविष्य में इस प्रकार के खाद्य पदार्थ का बेचान नही करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है जिसमें माफ करते हुए मेझे इस प्रकरण से मुक्त कराने की कृपा करावे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते पत्रावली आज सुनवाई हेतु रखी गई।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सोरटैक्स राईस (चावल) (राजा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से जुर्माना आरोपित किया जावे। प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

.......लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

कपिल कुमार अग्रवाल
04/12/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 07.2.2020 को समय 5.45 पी.एम. पर फर्म श्री जीणा माता ट्रेडर्स, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से कपिल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– तालाब की पाल, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को सोरटैक्स राईस (चावल) (राजा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद सोरटैक्स राईस (चावल)(राजा ब्राण्ड) के 22x25 किलोग्राम सील्ड बैग प्लास्टिक में से एक बैग खोलकर सोरटैक्स राईस (चावल)(राजा ब्राण्ड) को हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए सोरटैक्स राईस (चावल)(राजा ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम सोरटैक्स राईस (चावल) (राजा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ सूखे, खाली भिगाने में कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ सोरटैक्स राईस (चावल)(राजा ब्राण्ड) के एक नमूना भाग एवं फार्म नंम्बर 6 का एक सील बन्द लिफावे को नमूनें की जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया एवं शेष 3 नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से उक्त खाद्य पदार्थ सोरटैक्स राईस (चावल)(राजा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1106 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./88/Act/2020/88 दिनांक 18.2.2020 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कपिल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– तालाब की पाल, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री जीण माता ट्रेडर्स, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला–सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोरटैक्स राइस (चावल)(राजा ब्राण्ड) का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा [illegible] अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत कपिल कुमार [illegible] रमेश [illegible] अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– तालाब की पाल [illegible]वाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य [illegible]रकर्ता, फर्म श्री जीण ......लगातार	

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	माता ट्रेडर्स, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी कपिल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– तालाब की पाल, मेहतावाडी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो तथा जुर्माना राशि का डी.डी. जमा होने पर पेश हो। 5/12/2020 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:08 IST
Reason: SelfAttested